

डिक्री वमुकदमें ईत्तदाई  
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया  
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.  
प्रकरण संख्या:- 574/2024

1. दिव्यांशु पुत्र स्व. श्री सूर्यप्रकाश आयु 7 वर्ष नाबालिग जरिये कुदरती बली माता पारूल पुत्री स्व. श्री सूर्यप्रकाश जाति जाट नाई निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. पारूल पत्नि सूर्यप्रकाश आयु 28 वर्ष जाति नाई निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. अंजू पत्नि पवन कुमार पुत्र श्री रणजीत आयु 35 वर्ष जाति नाई निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

वादीगण

बनाम

1. रणजीत पुत्र रामप्रताप जाति नाई निवासी आयु 59 वर्ष रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान  
सन्तोष पुत्री रणजीत पत्नि श्री सुभाष जाति नाई आयु 35 वर्ष रतनपुरा हाल निवासी किकरवाली तहसील रायसिंह नगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. पवन कुमार पुत्र श्री रणजीत आयु 37 वर्ष जाति नाई निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4. रघुवीर पुत्र री रामप्रताप आयु 48 वर्ष जाति नाई निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
5. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाष सैन वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री अमर सिंह मण्डोरा वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि तहसीलदार राजस्व संगरिया को निर्देश दिये जाते है कि नियमानुसार 1000/- रूपये की स्टाम्प ड्यूटी राजकोष में जमाकरवाकर प्रतिवादी सं. 1 रणजीत पुत्र रामप्रताप के नाम चक 9 एसबीएन खाता संख्या 105/168 जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 में दर्ज कृषि भूमि मे से वादी संख्या 1 को 0.784 है. मय गै.मु. एवं वादीया संख्या 3 को 0.481 है. कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा प्रतिवादी सं. 1 रणजीत पुत्र रामप्रताप के नाम चक 9 एसबीएन के खाता संख्या 204/121 जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 मे दर्ज कृषि भूमि मे से वादी संख्या 2 व वादी संख्या 3 को बहिब की खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा वादीगण एवं प्रतिवादी 4 का खाता निम्नानुसार अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है

कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

(क) दिव्यांशु पुत्र स्व. श्री सूर्यप्रकाश आयु 7 वर्ष नावालिग जरिये कुदरती वली माता पारूल पुत्री स्व. श्री सूर्यप्रकाश जाति नाई निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया के हक हिस्सा की भूमि :- चक 9 एसवीएन पटवार हल्का रतनपुरा खाता संख्या 105/168 खाता रणजीत में

प.न.	मु.न.	किला नं.
183/200	49	22/0.025 हैक्ट. नहरी, 23/0.253 हैक्ट 24/0.253, 25/1/.215 हैक्ट. 25/1/0.215 नहरी 25/2/0.0130 गै.मु. रास्ता 25/3/0.025 गै.मु. खाला कुल क्षेत्रफल 0.7840 हैक्ट नहरी 0.0746 हैक्ट गै.मु.रास्ता 0.013 गैर.मु. खाला 0.025 हैक्ट

(ख) अजू पत्नि पवन कुमार पुत्रवधु श्री रणजीत आयु 37 वर्ष जाति नाई निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा की भूमि:- चक 9 एसवीएन पटवार हल्का रतनपुरा जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 खाता संख्या 105/168 खाता रणजीत में।


प.न.	मु.न.	किला नं.
183/200	49	21/0.253, 22/0.228 है. कुल क्षेत्रफल 0.481 हैक्ट नहरी कृषि भूमि

(ग) वादी संख्या 2 पारूल, वादी संख्या 3 अंजू 1/2 हिस्सा बहिब, प्रतिवादी संख्या 4 रघुवीर 1/2 हिस्सा की कृषि भूमि :- चक न. 9 एसवीएन पटवार हल्का रतनपुरा खाता संख्या 204/121 खाता रघुवीर में

प.न.	मु.न.	किला नं.
184/200	50	21/0.253

नोट :- यदि प्रश्नगत भूमि बैंक रहन हो तो रहन मुक्त होने के पश्चात् ही अमल दरामद किया जावे।

निज.....~~नल~~.....~~मुब्लिक~~.....~~निल~~.....~~बाबत्~~.....~~निल~~.....~~खर्चा~~ मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....~~अदा~~ करें। बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक...28.01.2025...को जारी किया गया।

  
 (जय कौशिक)  
 सहायक फलक्टर एवं  
 उपखण्ड अधिकारी संगरिया  
 संगरिया